UPPB010024562026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–957/2026

रूबी पुत्री रामेश्वर दयाल, निवासी ग्राम–काजरबोझी, थाना–बरखेड़ा, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–102/2026,
अन्तर्गत धारा–85, 80(2) भा0 न्याय संहिता,
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–बरखेड़ा, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 02.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता रूबी की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–02.04.2026, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती नन्ही देवी ने दिनांक–02.04.2026 को थाना–बरखेड़ा, जिला–पीलीभीत पर इस आशय की तहरीर दी है कि उसने अपनी बेटी स्वाति देवी की शादी प्राथमिकी दर्ज कराने से दो वर्ष पूर्व आवेदिका के भाई वीरपाल के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर की थी, लेकिन उसके ससुरालीजन उसकी बेटी से आये दिन दो लाख रूपये नगद व गाड़ी की मांग करते थें और उसको प्रताड़ित करते थें। इसी के चलते दिनांक–02.04.2026 को समय 8:00 पी0एम0 बजे उसकी बेटी के ससुरालीजनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसको इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह मृतका की अविवाहित ननद है। मृतका द्वारा कमरा बन्द कर आत्महत्या की गयी है, दरवाजा तोड़कर लाश निकाली गयी है। उसके द्वारा मृतका से किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की गई और न ही उसे प्रताड़ित व परेशान किया गया। उसका का कोई विशिष्ट रोल नहीं है काल्पनिक रूप से दहेज की बात की गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–14.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर उसको जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि स्वाति देवी जो अब नहीं है, का विवाह आवेदिका/अभियुक्ता के सगे भाई वीरपाल से दिनांक–13.03.2024 को हुआ था, परन्तु शादी के बाद से ही आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य द्वारा मृतका से दहेज की मांग की जाने लगी और उसके चलते उसे प्रताड़ित कर उसका गला दबाकर उसकी दहेज मृत्यु कर दी है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में आवेदिका/अभियुक्ता के घर में हुई है। उसके द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उसके जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5. आवेदिका/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.02 16:44:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. दौरान सुनवाई आवेदिका/अभियुक्ता रूबी के विद्वान अधिवक्ता द्वार उसकी उम्र 25 वर्ष होनी बतायी गई, जिसे अविवाहित होना भी कहा गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी भाभी/मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia Due to Antemortem Strangulation दर्शाया है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका स्वाति देवी की अविवाहित ननद है और वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–14.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। मामले की सह–अभियुक्ता पूनम देवी जो इस प्रकरण की मृतका स्वाति देवी की सास थी की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान अभियक्ता का मामला भी जमानत पायी सह–अभियुक्ता से अलग नहीं है। लिहाजा इस स्तर पर यह अदालत प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पाने का हकदार मानती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता रूबी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा अंकन–1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसको नम्न शर्तानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

1. वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।
2. वह आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित होगी।
3. वह किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगी।
4. वह जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगी, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगी।

दिनांकः 02.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।